न्यायालय : श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर कैम्प

(113)

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/ 1072 पुनरीक्षण कमांक ....

श्रीमती जैबुन बी,

आयु लगभग 45 साल

पत्नी स्वर्गीय श्री चांद खां

निवासी ग्राम टिगरा तहसील

व जिला रायसेन म0प्र0 —— पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. **श्रीमती कला बाई,**

   आयु वयस्क

   पुत्री श्री पूरन सिंह

   निवासी ग्राम खोहा तहसील

   व जिला रायसेन म0प्र0

2. **श्रीमती अनार बी,**

   आयु वयस्क

   पत्नी श्री अजमत अलीपूरन सिंह

   पुत्री श्री आलमदार मोहम्मद

   निवासी छोला रोड भोपाल

3. **श्री इशाक मोहम्मद,**

   आयु वयस्क

   पुत्र श्री आलमदार मोहम्मद

   निवासी जिन्सी चौराहा जहांगीराबाद,

   भोपाल —— उत्तरदातागण

श्री ... द्वारा आज दि. 12.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.2.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता विद्वान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील रायसेन म0प्र0 द्वारा अपील प्रकरण कमांक 78 अपील/15–16 कलाबाई बनाम श्रीमती अनार बी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2018 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करती है–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1072

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-2018	आवेदिका की ओर से श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-1-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदिका की ओर से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिए था । अतः सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण आवेदिका को वापिस किया जाये । अध्यक्ष	